भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 126

उत्तर देने की तारीख : 18.07.2022

ऋण गारंटी योजना

126. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) **:** ऋण गारंटी योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) : इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है तथा इन लाभार्थियों को कुल कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है; और

(ग) **:** उत्तर प्रदेश में इस योजना से कितने लोग लाभान्वित हुए हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने क्रेडिट डिलीवरी प्रणाली को सुदृढ़ बनाने तथा कोलेट्रल और तृतीय पक्ष की गारंटी की बाधाओं के बिना सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र तक क्रेडिट के प्रवाह की सुविधा के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) की शुरुआत की थी। इस स्कीम को संपूर्ण भारत में कार्यशील बनाने के लिए जुलाई, 2000 में 2,500 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) गठित किया गया था जिसमें भारत सरकार (जीओआई) तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के योगदान का अनुपात 4:1 था। इस कोष को बढ़ाकर आगे 7,500 करोड़ रुपए कर दिया गया था तथा इसमें भारत सरकार द्वारा 5,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का योगदान दिया गया था। सीजीटीएमएसई द्वारा 200 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए गारंटी प्रदान की जाती है जिसमें से 85 प्रतिशत तक की गारंटी भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है । इस समय सीजीटीएमएसई के 146 सदस्य ऋणदाता संस्थान हैं।

(ख) और (ग) : दिनांक 30.06.2022 तक की स्थिति के अनुसार शुरुआत से लेकर अब तक 3,35,321.59 करोड़ रुपए की 61,13,019 गारंटियों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। शुरुआत से लेकर दिनांक 30.06.2022 तक उत्तर प्रदेश में 32,448.72 करोड़ रुपए की 6,63,598 गारंटियों को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

****